<u>न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, नवगछिया।</u>

<u>सत्र वाद संख्या – 429/2022</u>

<u>10.10.2022</u> प्रस्तुत वाद के अभियुक्तगण सुमन कुमार एवं शिवनन्दन मंडल की ओर जमानत आवेदन पत्र को शक्ति पत्र के साथ दाखिल किया गया, जिसकी प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक को प्रदान की गई है। अभियोजन की हाजिरी है। जमानत आवेदकगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। शेष एक अभियुक्त को कारा से प्रस्तुत किया गया।

उभय पक्षों को आरोप के बिन्दु पर सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। सभी तीन अभियुक्तों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा– 399/402 भा0 द0 वि0 एवं 25(1-B)a/26/35 शस्त्र अधिनियम आरोप गठन हेतु पर्याप्त साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है। अतः उनके विरुद्ध इन धाराओं के अन्तर्गत आरोप गठित किया गया, जिसे हिन्दी में पढ़कर उन्हें सुनाया व समझाया गया, जिससे उन्होंने इन्कार व वाद–विचारण का दावा किया।

जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कथन किया गया कि आवेदक अभियुक्तगण निर्दोष है, इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण पूर्व में जमानत पर थे। दिनांक 06.09.2022 को अभिलेख आरोप गठन हेतु निश्चित था तथा अभियुक्तगण को सदेह उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया था। आवेदकगण उक्त तिथि को आवश्यक कार्य हेतु बाहर चले गये थे, इस कारण उनकी ओर से न्यायालय में उचित पैरवी नहीं की जा सकी। जिस कारण विद्वान न्यायालय द्वारा उनका बंधपत्र खंडित कर उनके विरुद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया। आवेदकों ने जानकारी मिलते ही न्यायालय में आत्म–समर्पण किया है। आवेदक अभियुक्तगण वादा करते हैं कि प्रस्तुत वाद में वे न्यायालय के प्रत्येक तिथि को सदेह उपस्थित रहेंगे। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय के सभी शर्तों को पूरा करने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त करने की प्रार्थना करते हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से अनुरोध किया गया है कि प्रस्तुत वाद में यही अभियुक्तगण हैं और इनकी उपस्थिति से वाद में उपस्थिति पूर्ण हो गई है तथा उनके विरुद्ध आरोप गठित किया जा चुका है। आवेदकों ने जानबूझकर जमानत का दुरुपयोग नहीं किया है। अतः आवेदकगण की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर उचित आदेश पारित करने की प्रार्थना करते हैं।

उभय पक्षों को सुनने के उपरांत अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक अभियुक्तगण पूर्व मे जमानत पर थे तथा दिनांक 06.09.2022 को प्रस्तुत वाद आरोप गठन हेतु नियत था और अभियुक्तगण की विगत कई तिथियों से उचित पैरवी नहीं की जा रही थी, जिस कारण पैरवी के अभाव में उनका बंधपत्र निरस्त कर गैर–अजमानतीय अधिपत्र जारी करने का आदेश पारित किया गया। प्रस्तुत वाद में आवेदक अभियुक्तगण की उपस्थिति से प्रस्तुत वाद में उपस्थिति पूर्ण हो गई है तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप गठित किया जा चुका है। आवेदक अभियुक्तगण की ओर से कहा गया है कि भविष्य में इस प्रकार की गलती नहीं होगी तथा प्रस्तुत वाद के निष्पादन तक न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि को न्यायालय मे सदेह उपस्थित रहेंगे।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक मे आवेदक अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक अभियुक्त क्रमशः सुमन कुमार एवं शिवनन्दन मंडल के द्वारा मो0 – 10,000/– रूपये के समतुल्य राशि के दो–दो जमानतदारों के दायित्व के प्रतिभुओं का बंध पत्र दाखिल करने पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक अभियुक्त प्रस्तुत वाद में प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उचित पैरवी करेंगे।

ह0/–
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
नवगछिया, भागलपुर।